न्यायालयः उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं0 65/2021

रामजी प्र0 वो0..वादीगण

बनाम

मंजू देवी वो0..प्रतिवादीगण

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
19-02-2026		
	वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा दिनांक 29.01.2026 को व्य0प्र0सं0 के आदेश 22 नियम 3 अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथित किया गया कि यह कि मोकदमा हाजा से मूल मुदई रामजी प्रसाद गुप्ता दिनांक 28.12.2025 को अपने वैध प्रतिनिधिगण पत्नी पुत्र पौत्र बधू बेटी को छोड़कर मरे। यह कि मोकदमा के मुदई रामजी प्रसाद गुप्ता वैध प्रतिनिधिगण को रेकर्ड पर आना आवश्यक है। लेहाजा अर्ज है कि दरखास्त मुदई मंजूर कर रामजी प्रसाद गुप्ता मुदई नं0 1 का नाम काटकर उनके जगह पर उनके पक्षकारों का नाम जोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। आवेदन समय सीमा के अंदर है। अतः वादीगण का आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 **स्वीकृत** किया जाता है। न्यायालय कार्यालय को आदेश देती है कि मुदई नं0 1 रामजी प्रसाद गुप्ता का नाम कलमजद करने वो उनके पक्षकारों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक....................................वास्ते अग्रिम कार्रवाई। डाटा इंट्री ऑपरेटर का निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश को सी0आई0एस0 पर अपलोड करें। **लेखापित व संशोधित** Upendra Sah 19/02/2026 **(उपेन्द्र साह)** **सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज** **पूर्वी चम्पारण।**	